भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. 3575

सोमवार, 10 अगस्त, 2026/19 श्रावण, 1948 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

धनबाद में पर्यटन और विरासत सर्किट का विकास

3575. श्री दुलू महतो:

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का 'कोयला राजधानी' के रूप में धनबाद की पहचान के अलावा, धनबाद लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र को एक प्रमुख पारिस्थितिकी-पर्यटन और विरासत सर्किट (जैसे कि मैथन और पंचेत बांध, तोपचांची झील, भटिंडा जलप्रपात और जिनशी पहाड़ी स्थित प्राचीन मंदिर) के रूप में विकसित करने का विचार है;

(ख) क्या 'स्वदेश दर्शन 2.0' या 'तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन अभियान' (प्रसाद) योजना के तहत धनबाद के इन प्रमुख प्राकृतिक और ऐतिहासिक पर्यटक स्थलों के अवसंरचनात्मक विकास, सौंदर्यीकरण और सुरक्षा व्यवस्था के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ग) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान केंद्र सरकार द्वारा धनबाद में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कोई निधि स्वीकृत और आवंटित की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) धनबाद को राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर लाने तथा स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे तात्कालिक कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (घ): पर्यटन स्थलों और पर्यटन उत्पादों का विकास और संवर्धन मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकार और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा किया जाता है। हालांकि, पर्यटन मंत्रालय, अपनी विभिन्न योजनाओं जैसे, तीर्थस्थल कायाकल्प एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान (प्रशाद), स्वदेश दर्शन (एसडी), स्वदेश दर्शन 2.0 (एसडी 2.0), चुनौती आधारित गंतव्य विकास (सीबीडीडी) के अंतर्गत, पर्यटकों को बेहतर अनुभव प्रदान करने के लिए संपूर्ण देश में पर्यटन से संबंधित अवसंरचना के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके झारखंड राज्य सहित अन्य राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के प्रयासों को संपूरित करता है।

धनबाद लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र को एक प्रमुख पारिस्थितिकी-पर्यटन और विरासत परिपथ (जैसे मैथन और पंचेत बांध, तोपचांची झील, भटिंडा जलप्रपात और जिनशी पहाड़ी पर स्थित प्राचीन मंदिर) के रूप में विकसित करने संबंधी कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

हालाँकि, पर्यटन परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता हेतु राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों से प्रस्ताव प्राप्त करना एक सतत प्रक्रिया है। प्राप्त प्रस्तावों की निर्धारित दिशानिर्देशों के संदर्भ में जाँच की जाती है और निर्धारित शर्तों की पूर्ति तथा निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन ऐसी परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

उपरोक्त उल्लिखित योजनाओं के माध्यम से पर्यटन अवसंरचना का विकास समग्र तरीके से सुनिश्चित किया जाता है, जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय पर्यटन को बढ़ावा देना और स्थानीय रोजगार सृजित करना है।
